संख्याः २१६३ /xxv।।।(1)–2004–01/2001 टी0सी0

प्रेषक,

स्नेहलता अग्रवाल,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन,

सेवा में,

जिलाधिकारी,
हरिद्वार।

चिकित्सा अनुभाग–1 देहरादूनःदिनांक २३ दिसम्बर,2004

विषयः हरिद्वार में आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय की स्थापना के संबंध में ।

महोदय,

आप अवगत है कि ऋषिकुल राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय के समीप ब्रहमचर्याश्रम विद्यापीठ के स्वामित्व की भूमि पर आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय की स्थापना किये जाने का निर्णय शासन द्वारा पूर्व में लिया जा चुका है। वर्तमान में ऋषिकुल विद्यापीठ ब्रहमचर्याश्रम का प्रबन्धन पूर्त न्यास अधिनियम के अन्तर्गत शासन के अधीन हैं ओर जिसके जिलाधिकारी हरिद्वार, पदेन प्रशासक है। प्रश्नगत प्रकरण में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा भी विशेष अनुज्ञा याचिका में दिनांक 19.11.2004 को राज्य सरकार के पक्ष में निस्तारण कर दिया गया है। अतः ब्रहमचर्याश्रम विद्यापीठ के स्वामित्व वाली भूमि एंव भवन पर ऋषिकुल आयुर्वेदिक विश्विद्यालय की स्थापना किये जाने में अब कोई विधिक कठिनाई नहीं हैं।

2. अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत भूमि की हदबन्दी तत्काल कराने का कष्ट करें ताकि विश्वविद्यालय के स्थापना के संबंध में अग्रेत्तर काग्रवाही शुरू की जा सके।

भवदीय,

(स्नेहलता अग्रवाल)
अपर सचिव।

संख्याः /xxv।।।(1)–2004–01/2001 टी0सी0तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. स्टाफ आफिसर,मुख्य सचिव,उत्तरांचल शासन।
2. निदेशक,आयुर्वेदिक एंव यूनानी सेवायें,उत्तरांचल,देहरादून।
3. गार्ड फाईल/एन.आई.सी.

आज्ञा से,

(अतर सिंह)
उप सचिव।

MY DOCUMENT.12:19 AM.12/23/2004ANIL PUROHIT.